


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

संख्या-12/प0-(मू0को0) 4071/12-सा0प्र0-220 / पटना-15, दिनांक-10.1.17
श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 (2013) अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना की (दि0 11.11.2016 से प्रारम्भ) छुट्टी अवधि तक के लिए श्री प्रहलाद लाल, बि0प्र0से0, कोटि कमांक-773/11 गृह जिला-नवादा, सम्प्रति नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मसौढ़ी को अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है ।


2. श्री प्रहलाद लाल को उक्त अवधि के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं । साथ ही उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(भीम प्रसाद)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-12/प0-(मू0को0) 4071/12-सा0प्र0-220 / पटना, दिनांक- 10.1.17
प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइड पर डालने हेतु/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के उप सचिव